पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक 13032/अका./सम्बद्धता/2014 रायपुर, दिनांक : 04/01/2014

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.12.2013 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2013 के निर्णयानुसार **श्यामबालाजी कालेज, प्लाट नं.– 616/89, 716,13,14 ग्राम +पोस्ट–महासमुंद, जिला–महासमुंद (छ.ग.)** को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Ed.	100	2013-14

शर्तें :–

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
4. आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेंट फण्ड हेतु रू. 35,00,000/– (पैंतीस लाख रूपए) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
5. एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश **Recognisation Order No. WRC /APP1884 /186th /B.Ed. /2013 /106359 dated 01.08.2013** में उल्लेखित शर्तों का पालन करेंगे।
6. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
7. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28 फरवरी 2014 तक पूर्ण करें।
8. ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।
9. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

उक्त शर्तें पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ली जाएगी।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 13033/अका./सम्बद्धता/2014 रायपुर, दिनांक : 04/01/2014

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल (म.प्र.) को मान्यता आदेश Recognisation Order No. WRC /APP1884 /186th /B.Ed. /2013 /106359 dated 01.08.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
4. संचालक, श्यामबालाजी कालेज, प्लाट नं.– 616/89, 716,13,14 ग्राम +पोस्ट–महासमुंद,जिला–महासमुंद
5. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला/सम्बन्धित लिपिक (अका.),
6. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
7. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)